Plot No. 3

(1)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AB 509251

कार्यालय-... वाराणसी

द्वारा ... 487 2011 में लेखपत्र

संख्या ... 8655 2010 की

... 17 ...।

पन्नी में ...

पढ़ने वाला-श्री ... सिंह

(नि०लि०)

सुनने वाला-श्री ...आशा पाण्डेय

(नि०लि०)

सत्य प्रतिलिपि

उप नि०-II

वाराणसी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

1 309245

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

<u>विक्रय विलेख</u>

1 भूमि का प्रकार : आवासीय
2 परगना तहसील : देहात अमानत / सदर
3 ग्राम : करौदी, जिला वाराणसी।
4 सम्पत्ति का विवरण : आराजी नम्बर मि0 296
5 मापक की ईकाई : वर्गमीटर
6 आराजी का क्षेत्रफल : 118.20 वर्गमीटर
7 सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) : गैर चिन्हित कालोनी सड़क
8 अन्य विवरण (9मीटर रोड/कार्नर) : लागू नही
9 आराजी का प्रकार (प्लाट/फ्लैट/मकान/दुकान) : लागू नही
10 आराजी का कुल क्षेत्रफल : 118.20 वर्गमीटर
11 कुल आच्छादित क्षेत्रफल : लागू नही

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000
पाँच हजार रुपये

Rs.5000
FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

T 309246

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

12. स्थिति ([illegible]) : लागू नहीं
13. पेड़ो का मूल्यांकन : कुछ नहीं
14. बोरिंग/कुआं अन्य : कुछ नहीं
15. निर्मित क्षेत्रफल : लागू नहीं
16. निर्माण का वर्ष : लागू नहीं
17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है : नहीं
18. प्रतिफल धनराशि : 3,00,000/-
19. सरकारी मालियत : 6,15,000/-
20. देय स्टाम्प : 43,100/-

प्रथम पक्ष की संख्या-(6)

द्वितीय पक्ष की संख्या - (1)

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. M. Upadhyay
V. M. Upadhyay

Rajendra

ला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह

ला-श्री [illegible]

उ० नि० II
वाराणसी

चन्द्रमौली उपाध्याय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000
पाँच हजार रुपये

Rs.5000
FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

T 309247

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

चौहद्दी :-
पूरब : जुज आराजी मजकूर जो आज बहक शशांक केजरीवाल बय हो रही है।
पश्चिम : जुज आराजी मजकूर जो आज बहक शशांक केजरीवाल बय हो रही है।
उत्तर : चहारदीवारी जैन आश्रम।
दक्षिण : सड़क कालोनी।

नागेश उपाध्याय, रमेश उपाध्याय, चन्द्रमौलि उपाध्याय खुद व बहैसियत मुख्तारेआम हरिमोहन उपाध्याय, विश्वमोहन उपाध्याय, राजेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्रगण स्वर्गीय राजमोहन उपाध्याय सभी निवासीगण मौजा बनौली, परगना चैनपुर, जिला आरा (शाहाबाद) बिहार वर्तमान निवासीगण मकान नम्बर बी–33/11 ए–5क, नरियां, शहर वाराणसी।

.... प्रथम पक्ष/विक्रेतागण

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. M. Vadhyay

Rajendra

V. M. Vadhyay

Rajendra

चन्द्रमौली उपाध्याय

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
उप नि० लि०

श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
उ० नि० लि०

उ० नि० II
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

T 309256

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

व

अबुज कुमार डिडवानियां पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश डिडवानियां निवासी लेन नम्बर 5, मकान नम्बर 44-ए, रविन्द्रपुरी कालोनी, शहर वाराणसी।

.... द्वितीय पक्ष/क्रेता

विदित हो कि प्रथम पक्ष के पिता ज्योतिषाचार्य पंडित राजमोहन उपाध्याय ने मौजा करौंदी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी में स्थित आराजी नम्बर 296, रकबा 1 एकड़ 4 डिसमिल जरिये रजिस्ट्रीशुदा बैनामा मोरखा 10-02-1964 बखिलाफ गादेश्वरी कुंवर वगैरह मौसूमा खुद वाज्ज कीमत कामिल क्रय कर हासिल किया है बैनामा मजकूर का इन्द्राज दफ्तर सब रजिस्ट्रार, वाराणसी में बही नम्बर 1, जिल्द 3754 के पृष्ठ 308/312 पर बनम्बर 878 दिनांक 17-02-1964 को हुई है। तारीख बैनामा मजकूर से पिता प्रथम पक्ष आराजी मजकूर पर बहैसियत तनहां मालिक भूमिधर काबिज दखील रहकर हर फेल मालिकाना ताहयात खुद अमल में लाते रहे और उनका नाम भी कागजात माल

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (नि0 लि0)

सत्य प्रकाश ... पाण्डेय (नि0 लि0)

वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

T 309257

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

खतौनी में बहैसियत मालिक भूमिधर बमुजिब बैनामा मजकूर मुन्दर्ज रहा। पिता मजकूर के स्वर्गवास के पश्चात् हम प्रथम पक्ष बवजह होने कानूनी वारिसान व पुत्रगण अपने पिता की समस्त चल अचल जायदाद के मालिकान काबिज दखील हुए जुज रकबा आराजी मजकूर पूर्व में ही मुन्तकिल हो चुका है। आराजी मजकूर का रकबा 0.147 हेक्टेयर हम प्रथम पक्ष के नाम बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर कागजात माल खतौनी में दर्ज है जिस पर हम प्रथम पक्ष बहैसियत मालिकान काबिज दखील रहकर हर फेल मालिकाना अमल में लाते चले आ रहे है और जो हर कुल्फ मिल्कियत से पाक साफ व बेदाग है और जिसके बाबत प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को कुल हुक मालिकाना मय हकूक इन्तकालात हर एकसाम हासिल है जो चाहे सो करे चूंकि हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को रुपयों की असद जरूरत वास्ते खर्च खानगी व दीगर कार जरूरियात के दरपेश है और बिना आराजी उपरोक्त को विक्रय किये रुपयों का मिलना व जरूरियात वाला का रफा होना नामुमकिन है लेहाजा प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने उपरोक्त आराजी हसब तफसील जैल को विक्रय कर अपने जरूरियात मजकूर को रफा करना वाजिब व मुनासिब समझा। क्रय की बातचीत आम लोगों में चलायी जिस पर द्वितीय पक्ष/क्रेता अनुज कुमार डिडवानियां पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश डिडवानियां निवासी लेन नम्बर 5, मकान नम्बर 44-ए, रविन्द्रपुरी कालोनी, शहर वाराणसी प्रथम पक्ष की आराजियात मजकूर का जुज हसब तफसील जैल बएवज कीमत मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) खरीदने को

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

T 309258

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

आमादा व तैयार है जो कीमत बलिहाज स्थिति आराजी व मौजूदा बाजार भाव के उचित व मुनासिब है तथा इतना या इससे अधिक कीमत देने को कोई दूसरा गाहक तैयार नहीं है, अतः प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने आराजी उपरोक्त हस्ब तफसील जैल को द्वितीय पक्ष/क्रेता उपरोक्त के हक मे मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) मे विक्रय करने की बातचीत तय व पक्का कर लिया है। प्रथम पक्ष द्वारा आराजी मजकूर के बाबत पहका द्वितीय पक्ष बैनामा तहरीर व रजिस्ट्री करने मे कोई विधिक अड़चन नहीं है। द्वितीय पक्ष/क्रेता अपने हक मे बैनामा तहरीर कराने को प्रस्तुत है लिहाजा प्रथम पक्ष/विक्रेतागण आराजी हस्ब तफसील जैल का विक्रय पत्र बउवज कीमत मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) के निस्फ जिसका 1,50,000/- रुपया होता है वसूल व वदस्त द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर अपने स्वस्थ मन से प्रसन्नचित होकर बिना किसी जोर या दबाव के तहरीर व तकमील कर अपने को व अपने वारिसान व कायम मुकामानों को निम्नलिखित शर्तों से आवद्ध करते व होते हैं :-

1. यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने कुल तयशुदा कीमत मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) नगद कबल तहरीर बैनामा हाजा द्वितीय पक्ष/क्रेता से प्राप्त कर लिया है जिसकी पावती आज बरवक्त रजिस्ट्री बैनामा हाजा रूबरू सब रजिस्ट्रार साहब, वाराणसी स्वीकार करते हैं। अब द्वितीय पक्ष/क्रेता के जिम्मे बाबत जर समन बैनामा हाजा हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण का एक भी पैसा बाकी नहीं रहा यदि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

T 309192

प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

इसके विपरीत प्रथम पक्ष/विक्रेतागण कोई उज्र या ऐतराज बाबत
अदायगी जरे समन बैनामा प्रस्तुत करते है तो वह समुकाबिले बयनामा
नाज बातिल व नाजायज मुतसव्वर होगा।
यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने आज की तिथि में विक्रयशुदा आराजी
2. पर से अपना वास्तविक व मालिकाना कब्जा व दखल हटाकर
वास्तविक व मालिकाना कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष/क्रेता का करा दिया
है जो-जो हक व अख्तियारात हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को मुताल्लिक
आराजी विक्रयशुदा हासिल है वे सभी आज की तिथि से बहक द्वितीय
पक्ष/क्रेता मजकूर कतई तौर से बय व मुन्तकिल हो गये। अब द्वितीय
पक्ष/क्रेता को हक हासिल है कि विक्रयशुदा आराजी पर बतौर तनहां
मालिक काबिज व दखील रहकर उसका पूर्ण रूपेण उपयोग व उपभोग
अपने मनमाफिक करें अथवा जो चाहे सो करें इसमें प्रथम
पक्ष/विक्रेतागण को न कोई एतराज है न आईन्दा होगा।
यह कि अब द्वितीय पक्ष/क्रेता को हक हासिल है कि विक्रयशुदा
3. आराजी पर से माल व अन्य सरकारी कागजातों से प्रथम
पक्ष/विक्रेतागण का नाम खारिज कराकर उस पर अपना नाम बतौर
तनहां मालिक के दर्ज करवा लेवें व मालगुजारी वगैरह जो भी आयद
हो उसे जमाकर अपने नाम से रसीद हासिल किया करें। आज के
पहले के देयों के अदायगी की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष/विक्रेतागण की
होगी।

चन्द्रमौली उपाध्याय

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
नि० लि०
श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी
दे० ले० लि०

V. H. Upadhyay

Rajendra

चन्द्रमौली उपाध्याय

INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

T 309191

UTTAR PRADESH (9)

[illegible] अदि [illegible] वध, [illegible], कुर्की, [illegible] नहीं है। प्रथम [illegible] कोई दोष नहीं [illegible] प्रकार का कोई [illegible] जेल [illegible] द्वितीय [illegible] आराजी विक्रयशुदा [illegible] आदि या कोई [illegible] मुताबिक [illegible] द्वितीय पक्ष/क्रेता [illegible] हैसियत मय [illegible] रुपया सैकड़ा [illegible] जायदाद से वसूल कर [illegible] लेंगे।

यह कि विक्रयशुदा आराजी आवासीय है और आवासीय प्रयोजन हेतु [illegible] आराजी का रजिस्टर्ड सट्टा किसी पक्ष [illegible] विक्रयशुदा भूमि [illegible] खुली आवासीय [illegible] कोई निर्माण नहीं है।

[illegible] हरिमोहन उपाध्याय ने जिला [illegible] प्रथम [illegible] दिनांकित 28-06-2010 [illegible] प्रथम [illegible] उपाध्याय तहरीर कर पंजीकृत कराया [illegible]

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. H. Upadhyay

Rajendra

V. H. Upadhyay

Rajendra

चन्द्रमौली उपाध्याय

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु 1000 Rs.1000

K 249321

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

है जिसका इन्द्राज दफ्तर उप रजिस्ट्रार, द्वितीय, वाराणसी में पुस्तक संख्या 4, खण्ड 81 के पृष्ठ 239 लगायत 248 पर क्रमांक 215 दिनांक 29-06-2010 को हुई है जो अद्यतन कायम व प्रभावी है और मुदित चन्द्रमौलि उपाध्याय खुद व बहैसियत मुख्तारेआम हरिमोहन उपाध्याय बैनामा हाजा तहरीर कर पंजीकृत करा रहा है।

7\. यह कि विक्रयशुदा आराजी नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 की धारा 10(3) व 10(5) के किसी प्राविधानों से प्रभावित नहीं है। विक्रयशुदा आराजी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की नहीं है। पक्षगण भारतीय नागरिक है व उनके नाम व पते अंकित बैनामा हाजा वास्तविक व सही है।

8\. यह कि विक्रयशुदा जायदाद सामान्य पक्की सड़क पर वाका है और जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित किसी मार्ग पर स्थित नहीं है तथा नगर निगम वाराणसी सीमा के बाहर देहात के अविकसित आवासीय क्षेत्र में स्थित है।

9\. यह कि सरकारी दर से विक्रीत आराजी में भूमि की कीमत रु0 5200/- प्रति वर्गमीटर की दर से 118.20 वर्गमीटर का रु0 6,14,640/- रुपया होती है जिसके पूर्णांक मु0 6,15,000/- रुपये पर स्टाम्प नियमानुसार मु0 43,100/- रुपये का अदा किया जा रहा है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

प्रदेश UTTAR PRADESH [10] K 249320

10. यह कि प्रथम पक्ष-विक्रेतागण ने कुल मजमून बैनामा हाजा को बखूबी पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझकर इसके विधिक प्रभाव से भली-भांति अवगत होकर बहक द्वितीय पक्ष-क्रेता मजमून तहरीर किया है जिसकी पूरी पाबन्दी प्रथम पक्ष-विक्रेतागण व वारिसान व कायम मुकामान प्रथम पक्ष पर है व रहेगी।

इस वास्ते प्रथम पक्ष-विक्रेतागण ने यह तहरीर बतौर बयनामा लाकलामी के बहक द्वितीय पक्ष-क्रेता लिख दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

विवरण आराजी विक्रयशुदा

आराजी नम्बर मि० 296, रकबा 0.147 हेक्टेयर मे से रकबा 1271.89 वर्गफीट यानि 118.20 वर्गमीटर वाका मौजा - करौंदी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी जिसे संलग्न नक्शे मे लाल रंग की तिरछी लकीरों से दर्शाया गया है व जिसकी चतुर्दिक सीमाएं निम्नलिखित है :-

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह

श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी

उप निबंधक II
वाराणसी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (11) K 249319

पूरब : जुज आराजी मजकूर जो आज बहक शशांक केजरीवाल बय हो रही है।

पश्चिम : जुज आराजी मजकूर जो आज बहक शशांक केजरीवाल बय हो रही है।

उत्तर : चहारदीवारी जैन आश्रम।

दक्षिण : सड़क कालोनी।

गवाहान :-

1. नाम : Ashok Kumar Pandey

पिता का नाम : Shiv Kumar Pandey

पूरा पता : K-61/76 Bulanala, VARANASI

हस्ताक्षर : A.K. Pandey

बाला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
नि० लि०

बाला-श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
द० नि० लि०

द० नि० II
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH (13) AL 520254

2. नाम : Chandra Shekhar Giri
पिता का नाम : Sri Navallal Giri
पूरा पता : Q.No T-6-B Bhadaur Chauki Paighat Varanasi
हस्ताक्षर : CS Giri

तहरीर तारीख :- 03-12-2010.

मसविदाकर्ता :-

एडवोकेट
कलेक्ट्रेट कोर्ट, वाराणसी।

टाईपकर्ता :- मनोज यादव

मनोज यादव
चैम्बर नं0 5, कलेक्ट्रेट कचहरी, वाराणसी।

चन्द्रमौलि उपाध्याय

पढ़ने वाला-श्री ... प्रताप सिंह
सि0 लि0

सुनने वाला-श्री ... तिवारी
टे0 बै0 लि0

चन्द्रमौलि उपाध्याय

उ0 नि0 II
वाराणसी

(14)

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत
निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

न निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठ

पढ़ने वाला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
मि० लि०
सुनने वाला-श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
दे०

उ० नि०

हस्ताक्षर

पढ़ने वाला-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
(मि० लि०)
सुनने वाला-श्रीमती आशा पाण्डेय
(मि० लि०)

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक-II
वाराणसी

Scanned by CamScanner

(5)

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

चन्द्रमौली उपाध्याय

हस्ताक्षर

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

V. H. Nadhyay

हस्ताक्षर

पढ़ने वाला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह (नि० लि०)

सुनने वाला-श्री कृष्ण मुरारी तिवारी (नि० लि०)

उ० नि० II
वाराणसी

पढ़ने वाला-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (नि० लि०)

सुनने वाला-श्रीमती आशा पाण्डेय (नि० लि०)

सत्य प्रतिलिपि

उ०नि०-II
वाराणसी

Scanned by CamScanner

16

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत
निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

....

निष्पादन कर्ता/विक्रेता

....

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

....

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

....

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

पढ़ने वाला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
नि० लि०
सुनने वाला-श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
दै० वे० लि०

हस्ताक्षर

पढ़ने वाला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
(नि० लि०)
सुनने वाला-श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
(नि० लि०)

सत्य प्रतिलिपि

उ० नि०-II
वाराणसी

उ० नि० II
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु 5

Rs. 5

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

[illegible]

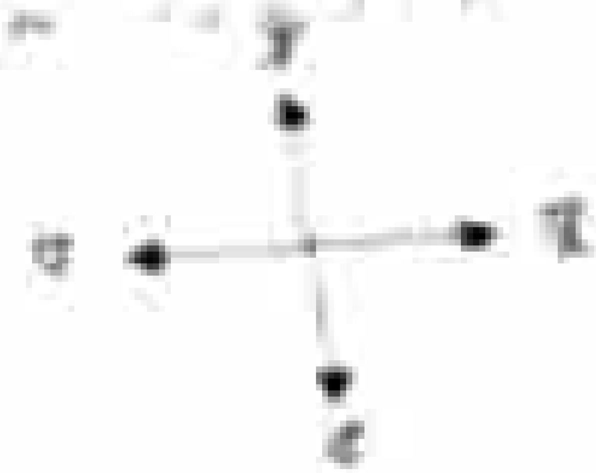

[illegible]

V. M. Vladhyay

Scanned by CamScanner